उत्तर प्रदेश शासन
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,
संख्या-134/2017/864/92-2-17-15जांच/2014
लखनऊ:: दिनांक:: 04 अगस्त,2017

कार्यालय-ज्ञाप

जनपद देवरिया में ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा त्वरित विकास योजना 2012-13 के अंतर्गत सम्पर्क मार्ग इसारू से देवकली पिच के चैनेज संख्या-1310 से 3300 (मुल लम्बाई 1990 मी0) के निर्माण कार्यो में मुख्य प्राविधिक परीक्षक, तकनीकी सम्परीक्षा प्रकोष्ठ, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ की जॉच आख्या के अनुसार निर्माण कार्य में प्रीमिक्स कारपेट एवं सीलकोट का कार्य संतोषजनक न पाये जाने हेतु प्रथम द्रष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-34/92-2-17-15जांच/2014 दिनांक 09-01-2017 द्वारा श्री अवधेशमणि त्रिपाठी, तत्कालीन अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-देवरिया के विरूद्व उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-10(2) के अंतर्गत उनका स्पष्टीकरण मांगा गया। श्री त्रिपाठी के पत्र दिनांक 09.02.2017 एवं 04-05-2017 द्वारा अपना बचाव उत्तर शासन में उपलब्ध कराया गया।

2- अपचारी अधिकारी श्री अवधेशमणि त्रिपाठी के विरूद्व निर्गत स्पष्टीकरण, अपचारी अधिाकारी का बचाव उत्तर एवं संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त अपचारी अधिकारी, श्री अवधेशमणि त्रिपाठी तत्का0 अधिशासी अभियंता पर पर्यवेक्षणीय दायित्वों का निर्वहन ठीक प्रकार से न किया जाना पाया गया। उक्त हेतु शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-34/92-2-17-15जांच/2014 दिनांक 09-01-2017 द्वारा श्री अवधेशमणि त्रिपाठी, तत्कालीन अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-देवरिया के विरूद्व निर्गत स्पष्टीकरण को उनकी सत्यनिष्ठा संदिग्ध करते हुये निम्नवत "**परिनिन्दा**" दण्ड के साथ एतद्द्वारा समाप्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

"ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-देवरिया में अधिशासी अभियंता के रूप में कराये गये निर्माण कार्यो में उदासीनता/लापरवाही बरतने, पर्यवेक्षणीय दायित्वों का निर्वहन न करने के लिए श्री अवधेशमणि त्रिपाठी, तत्कालीन अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-देवरिया को **परिनिन्दित** किया जाता है।" यह परिनिन्दा वर्ष 2016-17 के लिये मानी जायेगी।"

[redacted]

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूददीन
अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-134/2017/864/(1)/92-2-2017 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0,लखनऊ।

2- श्री अवधेशमणि त्रिपाठी, तत्कालीन अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-देवरिया द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग,उ0प्र0 लखनऊ।

3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1 को इस आशय से प्रेषित कि उक्त प्रविष्टि श्री अवधेशमणि त्रिपाठी के चरित्र पंजिका में रखी जाय।

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रवीन्द्र नाथ सिंह)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।